भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या:5727

27 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल समेकन

†5727. श्रीमती पूनमबेन माडम:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में समेकित करने और इसे सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने देश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार लाने के लिए डिजिटल पहल आरंभ की है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ) सरकार देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) लागू कर रही है। एनएमएचपी के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को 767 जिलों में लागू करने की मंजूरी दी गई है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। डीएमएचपी के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्तर पर उपलब्ध कराई गई सुविधाओं में बाह्य रोगी सेवाएं, मूल्यांकन, परामर्श/मनोसामाजिक अंत:क्षेप, गंभीर मानसिक विकारों से पीड़ित व्यक्तियों को निरंतर देखभाल और सहायता, दवाइयां, आउटरीच सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं आदि शामिल हैं। उपरोक्त सेवाओं के अतिरिक्त, जिला स्तर पर 10 बिस्तरों वाली अंतरंग रोगी सुविधा का प्रावधान है।

सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल करने के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार ने 1.77 लाख से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उन्नत किया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी शामिल किया गया है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मानसिक, तंत्रिका संबंधी और मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकारों (एमएनएस) के विभिन्न कैडरों के लिए परिचालन दिशानिर्देश और प्रशिक्षण नियमावली जारी की गई हैं।

एनएमएचपी के विशिष्ट देखभाल घटक के अंतर्गत, मानसिक स्वास्थ्य विशिष्टता केंद्रों के स्नातकोत्तर विभागों में छात्रों की संख्या बढ़ाने और विशिष्ट स्तर की उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए 25 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य विशिष्टता केंद्रों में 47 स्नातकोत्तर विभागों को सुदृढ़ करने के लिए 19 सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को भी सहायता प्रदान की है।

देश में सरकार द्वारा संचालित 47 मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल हैं, जिनमें 3 केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, नामत: राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर, असम और केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची शामिल हैं। सभी एम्स में भी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं।.

सरकार ने दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 को "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" (एनटीएमएचपी) शुरू किया है, जो जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के डिजिटल विंग के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य चौबीसों घंटे, सातों दिन, टेली-मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाओं के माध्यम से सभी को समान, सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करना है। इसके लिए देश भर में एक टोल-फ्री नंबर (14416) स्थापित किया गया है।

दिनांक 3 मार्च 2026 तक, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 53 टेली मानस प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं। टेली मानस सेवाएं राज्यों द्वारा चुनी गई भाषा के आधार पर 20 भाषाओं में उपलब्ध हैं। इसकी स्थापना होने के बाद से हेल्पलाइन नंबर पर 34.34 लाख से अधिक कॉल हैंडल की जा चुकी हैं।

सरकार ने 10 अक्टूबर, 2024 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर टेलीमानस मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च किया है। टेलीमानस मोबाइल एप्लिकेशन एक व्यापक मोबाइल प्लेटफॉर्म है जिसे अच्छे स्वास्थ्य से लेकर मानसिक विकासों तक, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं के लिए सहायता प्रदान करने हेतु विकसित किया गया है। सरकार ने टेलीमानस के अंतर्गत वीडियो परामर्श सुविधा भी शुरू की है, जो पहले से मौजूद ऑडियो कॉलिंग सुविधा का एक उन्नत संस्करण है।
